न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 59 / 2022
GCMS Case No. 2022 / 193

सायल :– सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायलः– नीरज उपाध्याय पुत्र श्री राधेश्याम उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी सोजत रोड पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल सिंगाडिया

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20-10-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 05.08.2022 को गैरसायल नीरज उपाध्याय पुत्र श्री राधेश्याम उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी सोजत रोड पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद / सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना सोजत रोड क्षैत्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, एवं आदतन जुआरी है। जिसके खिलाफ 2001 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। जिनमें से 03 प्रकरण जुआ अध्यादेश में व 02 प्रकरण मारपीट एवं 20 एससी / एसटी एक्ट व 01 धुमपान अधिनियम के तहत पंजीबद्ध हुऐ है जिनमें से 05 प्रकरणों में न्यायालय ने सजा के तौर पर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्र. स. | मु0न0 / दिनांक | धारा | नाम थाना | चालान नं0 / दिनांक | न्यायालय निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102/ 28-08-2021 | 341,323 भादस | सोजत रोड | 72 / 31.08. 2001 | दिनांक 31.08.2005 को एसीजेएम कोर्ट सोजत द्वारा जरिये राजीनामा बरी किया गया। |
| 2 | 135/24-10-2001 | एससी / एसटी एक्ट | सोजत रोड | 108 / 21.12. 2001 | दिनांक 11.08.2004 को सजा |
| 3 | 81/02-07-2003 | 3(1)(एक्स) एससी / एसटी एक्ट | सोजत रोड | 74 / 30.08. 2003 | दिनांक 12.09.2009 को जरिये राजीनामा बरी |
| 4 | 27/21-03-2005 | 13 आरपीजीओ एक्ट | सोजत रोड | 20 / 24.03. 2005 | दिनांक 31.03.2005 को एसीजेएस कोर्ट सोजत से जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। |
| 5 | 83/26-06-2018 | 13 आरपीजीओ एक्ट | सोजत रोड | 41 / 28.06. 2018 | दिनांक 16.07.2018 को एसीजेएस कोर्ट सोजत से 400 / – रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। |
| 6 | 145/08-11-2018 | 13 आरपीजीओ एक्ट | सोजत रोड | 89 / 15.11. 2019 | दिनांक 17.12.2018 को एसीजेएस कोर्ट सोजत से 600 / – रूपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। |

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 136/10-10-2019 | 9/11 धुमपान अधिनियम | सोजत रोड | 67/15.10.2019 | दिनांक 18.10.2019 को एसीजेएस कोर्ट सोजत से 600 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। |
| 8 | 75/18-06-2021 | 341,323/34 504 भादस | सोजत रोड | 40/15.07.2021 | जैर ट्रायल न्यायालय |

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल नीरज उपाध्याय पुत्र श्री राधेश्याम उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी सोजत रोड पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली जुऐ के धंधे में लिप्त है, एंव जुआ खेलने एवं खिलाने के लिए प्रेरित करने से आम लोगो पर गलत प्रभाव पड रहा है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा **2(ख)(5)** राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना सोजत रोड का अव्वल दर्जे का जुआरी होने के साथ ही आदतन बदमाश है जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को कई प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल कि ओर से अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब में कथन किया है कि सायल द्वारा गैर सायल के खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित प्रकरण मात्र द्वैषतावश एवं गैर सायल की छविं खराब करने के लिए किये गये है गैर सायल के खिलाफ दर्ज सभी प्रकरणों से यह सिद्ध नही होता है कि गैर सायल आदतन अपराधी है एवं कोई जंघन्य अपराध कारित करता है जिससे आमजन को किसी प्रकार का खतरा है। गैर सायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह वर्तमान मे मजदुरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है तथा आम नागरिक कि तरह अपना जीवन यापन कर रहा है एवं भविष्य में भी किसी प्रकार आपराधिक प्रवृति के कार्य नही करेगा। इसलिए सायल द्वारा गैर सायल के खिलाफ प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध एसीजेएम कोर्ट सोजत के मुकदमा नम्बर 675/2018 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2018 को आदेश पारित करते हुए 13 आर पी जी ओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हुए 600/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार मुकदमा नम्बर 369/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2018 को आदेश पारित करते हुए 13 आर पी जी ओ अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 400/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल नीरज उपाध्याय पुत्र श्री राधेश्याम उपाध्याय जाति ब्राहम्ण निवासी सोजत रोड पुलिस थाना सोजत रोड जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना सोजत रोड से निष्काषित कर पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05/11/2022 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल नीरज उपाध्याय इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड, गैरसायल नीरज उपाध्याय को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी सोजत रोड अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना सोजत रोड एवं थानाधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली